



2025:CGHC:33990

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
विविध अपील क्षतिपूर्ति क्रमांक 63/2025

• शाखा/मंडल प्रबंधक, द जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पता-आर.के. प्लाजा, पचपेड़ी नाका, रिंग रोड क्रमांक 1, रायपुर (छ.ग.)

--- अपीलार्थी/अनावेदक क्रमांक 3

विरुद्ध

1. रामकुमार पटेल पिता गुहरा पटेल, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी ग्राम भोंडा, पुलिस थाना एवं तहसील बोड़ला, जिला कबीरधाम (छ.ग.) (अनावेदक क्रमांक 1/दावाकर्ता)
2. गयाप्रसाद पिता लखनलाल निषाद, आयु लगभग 37 वर्ष, निवासी ग्राम जालंधर, पुलिस थाना किशनपुर, जिला फतेहपुर (उ.प्र.)अनावेदक क्रमांक 1
3. रीस अनवर खान पिता मोहम्मद खान, आयु लगभग 41 वर्ष, पता बाबा खान किराना स्टोर, नूरानी चौक, नई बस्ती, राजा तालाब रायपुर, तहसील एवं जिला रायपुर (छ.ग.) (.... अनावेदक क्रमांक 2)

---प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी की ओर से : श्री पंकज अग्रवाल, अधिवक्ता की ओर से श्रीमती स्वाति अग्रवाल, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी क्रमांक 1 की ओर से : श्री सुमित श्रीवास्तव, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी क्रमांक 3 की ओर से : श्री विकास कुमार पाण्डेय, अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ प्रतीम साहू

बोर्ड पर निर्णय

18/07/2025

1. यह अपील अपीलार्थी-बीमा कंपनी ने मोटर यान अधिनियम, 1988 (संक्षेप में "अधिनियम, 1988") की धारा 173 के अधीन प्रस्तुत की है, जिसके अन्तर्गत विद्वान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कबीरधाम, छत्तीसगढ़ (संक्षेप में "दावा अधिकरण") द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 72/2023 में दिनांक 18.10.2024 को पारित अधिनिर्णय को चुनौती दी गई है, जिसमें विद्वान दावा अधिकरण ने अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अधीन आवेदक-दावाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया और क्षतिपूर्ति के रूप में कुल ₹ 33,04,000/- की राशि अधिनिर्णीत किया।



2. इस अपील के निराकरण हेतु सुसंगत तथ्य यह हैं कि दिनांक 31.05.2023 को शाम लगभग 07:30 बजे, रामकुमार पटेल अपनी मोटरसायकल क्रमांक CG09 JG 3802 को रोककर तहसील कार्यालय के सामने सड़क के किनारे खड़े थे। उसी समय, अनावेदक क्रमांक 1 ने ट्रक क्रमांक CG 04 NK 1385 (जिसे आगे "दुर्घटना कारित करने वाला ट्रक" कहा जाएगा) को तेज गति एवं उपेक्षापूर्वक चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी और दुर्घटना का कारण बना। दुर्घटना में, रामकुमार पटेल को गंभीर चोटें आईं, उसके दाहिने हाथ की हथेली कट गई और उनका बायाँ पैर गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्हें जिला अस्पताल, बोड़ला ले जाया गया, जहाँ से उन्हें रूपजीवन अस्पताल, कवर्धा रेफर कर दिया गया और उसके बाद गंभीर चोटों को देखते हुए उन्हें बीटीआरसी, मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल, बिलासपुर में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका बायाँ पैर काटना पड़ा। दुर्घटना की सूचना अनावेदक क्रमांक 1-चालक के विरुद्ध बोड़ला पुलिस थाने में दी गई, जिसके आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338 के अधीन कथित अपराधों के लिए अपराध क्रमांक 147/2023 पंजीबद्ध किया गया।

3. प्रत्यर्थी क्रमांक 1/आवेदक-दावाकर्ता ने अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अधीन एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें ₹33,04,000/- की क्षतिपूर्ति का अभिवाक किया।

4. प्रत्यर्थी क्रमांक 2 व 3/ अनावेदक क्रमांक 1 व 2- चालक और दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक के स्वामी ने आवेदन पर संयुक्त उत्तर प्रस्तुत किया, जिसमें प्रदत्त तथ्यों का खंडन किया गया। यह भी तर्क किया गया कि अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध एक झूठा और तुच्छ प्रकरण दर्ज किया गया है, दुर्घटना कारित करने वाले ट्रक से कोई दुर्घटना नहीं हुई। दुर्घटना की तिथि को, अनावेदक क्रमांक 1 के पास वैध और प्रभावी चालन-अनुज्ञप्ति था, और दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का बीमा अनावेदक क्रमांक 3 द्वारा किया गया था।

5. अपीलार्थी/अनावेदक क्रमांक 3/बीमा कंपनी ने दावा आवेदन पर अपना जवाब प्रस्तुत किया और आवेदन में की गई सभी प्रतिकूल अभिवचनों को नकारते हुए, आगे यह भी अभिवाक किया गया कि दुर्घटना की तिथि को अनावेदक क्रमांक 1 पॉलिसी शर्तों का उल्लंघन करते हुए दुर्घटना कारित करने वाला ट्रक चला रहा था, उसके पास वैध और प्रभावी चालन-अनुज्ञप्ति नहीं था। दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का कोई वैध परमिट या फिटनेस प्रमाण पत्र भी नहीं था। दुर्घटना दो वाहनों के मध्य हुई, इसलिए मोटरसायकल चालक की ओर से भी सहभागी लापरवाही हुई। जिस मोटरसायकल पर आवेदक सवार था, उसके चालक, स्वामी और बीमाकर्ता को कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया गया, अतः आवेदन संधारणीय नहीं है।



6. विद्वान दावा अधिकरण ने, संबंधित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों और साक्ष्यों की विवेचना के उपरांत, यह अभिनिर्धारित किया कि आवेदक - रामकुमार पटेल को अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा चलाए जा रहे ट्रक को तेज गति और उपेक्षापूर्वक चलाने के कारण हुई दुर्घटना में गंभीर चोटें आईं। बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन, सहभागी लापरवाही और पक्षकारों का एक साथ न आना साबित नहीं पाया गया। अधिकरण ने क्षतिपूर्ति राशि की गणना की और दावा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से उसकी वसूली तक 6% प्रति वर्ष ब्याज सहित कुल क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ 21,15,894/- का अधिनिर्णय दिया और अनावेदक क्रमांक 3-बीमा कंपनी पर आदेश को पूरा करने का दायित्व अधिरोपित किया।

7. अपीलार्थी-बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि दावा अधिकरण ने यद्यपि प्रदर्श पी-54 सी के तहत जारी विकलांगता प्रमाण पत्र पर विचार किया जिसमें स्थायी विकलांगता 70% बताई गई है, हालाँकि, कमाई की हानि 100% आंकी गई है। उन्होंने तर्क किया कि प्रकरण के समान तथ्यों में, जहाँ एक व्यक्ति/दावाकर्ता जो राजमिस्त्री के रूप में कार्यरत था, जिसका एक पैर कट गया था, उसकी कमाई की हानि 80% मानी गई थी और इसलिए, इस प्रकरण में भी, कमाई की हानि 80% से अधिक नहीं होगी।

8. संबंधित प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि चूँकि दावाकर्ता/आहत राजमिस्त्री के रूप में कार्यरत था और उसका बायाँ पैर कट गया था, वह राजमिस्त्री का कार्य करने में सक्षम नहीं होगा और इसलिए दावा अधिकरण ने कमाई की क्षमता की 100% हानि का आकलन करना उचित समझा।

9. मैंने संबंधित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और अभिलेख का भी परिशीलन किया है।

10. इस अपील में अन्तर्वलित संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या अधिकरण ने विकलांगता प्रमाणपत्र में 70% स्थायी विकलांगता दर्शाए जाने के बावजूद 100% कार्यात्मक विकलांगता/अर्जन क्षमता की हानि का आकलन करना उचित ठहराया? और, प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए आय की हानि का उचित आकलन क्या होगा?

11. यह निर्विवाद है कि दुर्घटना के परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी क्रमांक 1/आवेदक के बाएं पैर में गंभीर चोटें आईं, जिसके कारण उसके बाएं पैर को घुटने के नीचे से काटना पड़ा। यह भी निर्विवाद है कि अपीलार्थी को मोटर दुर्घटना में लगी चोटों के कारण 70% स्थायी विकलांगता हुई, जिसके लिए विकलांगता प्रमाणपत्र जारी किया गया है और प्रदर्श P-54C के रूप में अभिलेख में दर्ज किया गया है।



12. जहाँ तक अपीलार्थी की विकलांगता का संबंध है, विद्वान दावा अधिकरण ने प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों, प्रत्यर्थी क्रमांक 1/आवेदक के श्रमिक होने के व्यवसाय की प्रकृति और उसके बाएं पैर के घुटने के नीचे से विच्छेदन के तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी क्रमांक 1/आवेदक की कार्यात्मक विकलांगता/आय की हानि को 100% माना है। एक व्यक्ति जो स्थायी विकलांगता से पीड़ित है, विशेष रूप से जिसका पैर घुटने के नीचे से विच्छेदित हो गया हो, उसके शारीरिक श्रम में संलग्न होने की संभावना नहीं है। ऐसी विकलांगता के कारण होने वाली शारीरिक सीमाएँ व्यक्ति की गतिशीलता और शारीरिक शक्ति की आवश्यकता वाले कार्यों को करने की क्षमता को गंभीर रूप से बाधित करेंगी।

13. विधि में यह सुस्थापित है कि शारीरिक विकलांगता के प्रतिशत को यांत्रिक रूप से कमाई की क्षमता में कमी के बराबर नहीं माना जा सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय ने राजकुमार विरुद्ध अजय कुमार व एक अन्य (2011) 1 एससीसी 343 में प्रकाशित प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया कि कार्यात्मक विकलांगता का अवधारण रोजगार की प्रकृति, आयु और आहत व्यक्ति की वैकल्पिक आजीविका में संलग्न होने की क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

“13. स्थायी विकलांगता के वास्तविक कमाई क्षमता पर प्रभाव का पता लगाने में तीन चरण शामिल हैं। अधिकरण को सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि दावाकर्ता स्थायी विकलांगता के बावजूद कौन सी गतिविधियाँ कर सकता है और स्थायी विकलांगता के परिणामस्वरूप वह क्या नहीं कर सकता (यह जीवन की सुविधाओं के हानि के मद में क्षतिपूर्ति देने के लिए भी सुसंगत है)। दूसरा चरण दुर्घटना से पहले उसके व्यवसाय, पेशे और कार्य की प्रकृति, साथ ही उसकी आयु का पता लगाना है। तीसरा चरण यह पता लगाना है कि क्या (i) दावाकर्ता किसी भी प्रकार की आजीविका कमाने में पूरी तरह से अक्षम है, या (ii) क्या स्थायी विकलांगता के बावजूद, दावाकर्ता अभी भी उन गतिविधियों और कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकता है, जो वह पहले कर रहा था, या (iii) क्या उसे अपनी पिछली गतिविधियों और कार्यों को करने से रोका या प्रतिबंधित किया गया था, किंतु वह कुछ अन्य या कम स्तर की गतिविधियाँ और कार्य कर सकता था ताकि वह कमाई जारी रख सके या अपनी आजीविका कमा सके।

14. उदाहरण के लिए, यदि किसी दावाकर्ता का बायाँ हाथ काट दिया जाता है, तो स्थायी शारीरिक या कार्यात्मक विकलांगता लगभग



60% आंकी जा सकती है। यदि दावाकर्ता चालक या बढ़ई था, तो वास्तविक कमाई की क्षमता का हानि लगभग सौ प्रतिशत हो सकता है, यदि वह न तो गाड़ी चला सकता है और न ही बढ़ईगीरी कर सकता है। दूसरी ओर, यदि दावाकर्ता शासकीय सेवा में लिपिक था, तो उसके बाएँ हाथ के हानि के परिणामस्वरूप उसकी नौकरी नहीं जा सकती है और उसे लिपिक के रूप में तब भी जारी रखा जा सकता है जब वह अपने लिपिकीय कार्य कर सकता था; और उस स्थिति में कमाई की क्षमता का हानि चालक या बढ़ई की तरह 100% नहीं होगा, न ही 60% होगा जो वास्तविक शारीरिक विकलांगता है, बल्कि बहुत कम होगा। वास्तव में, यदि दावाकर्ता शासकीय सेवा में बना रहता है, तो "भविष्य की कमाई के हानि" के तहत कोई क्षतिपूर्ति देने की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती है, हालाँकि उसे हाथ खोने के परिणामस्वरूप सुविधाओं के हानि के तहत क्षतिपूर्ति दिया जा सकता है। कभी-कभी आहत दावाकर्ता सेवा में बने रहना चाहिए, लेकिन अपनी विकलांगता के कारण उस पद या नौकरी से जुड़े कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उपयुक्त नहीं पाया जा सकता है, जो वह पहले धारण कर रहा था, और इसलिए उसे किसी अन्य उपयुक्त लेकिन कम वेतन वाले पद पर स्थानांतरित किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में, कम हुई अर्जन क्षमता को विचार में रखते हुए, भविष्य में अर्जन क्षमता की हानि के मद के तहत एक सीमित अधिनिर्णय प्रदान किया जाना चाहिए।

14. संजय राजपूत विरुद्ध राम सिंह, लाँ (एससी) 2025 2 34 में प्रकाशित प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक स्व-नियोजित व्यक्ति की आय की हानि पर विचार किया है जो अपना स्वयं का व्यवसाय चला रहा था और उसका प्रबंधन कर रहा था, जिसका एक पैर घुटने के ऊपर से कट गया था और अपीलार्थी की कार्यात्मक अक्षमता का आकलन 90% किया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

"10. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है। प्रत्यर्थी क्रमांक 3 - बीमाकर्ता ने उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है। हम अधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा उसके द्वारा सहन की गई कार्यात्मक अक्षमता और उसकी आयु के अवधारण पर लिए गए दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं। दावाकर्ता- अपीलार्थी वेतनभोगी नहीं है, बल्कि स्व-नियोजित है और



अपना व्यवसाय चलाता और प्रबंधित करता है। अपीलार्थी को अपना व्यवसाय प्रभावी ढंग से चलाने के लिए निश्चित रूप से घूमना-फिरना आवश्यक है। उसके अंग-विच्छेदन के कारण इसमें काफी बाधा आई है, जिससे साबित होता है कि अपीलार्थी की कार्यात्मक अक्षमता उसकी अर्जन क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी। इसलिए, उचित दृष्टिकोण यह होगा कि दावाकर्ता- अपीलार्थी की विकलांगता का आकलन 90% किया जाए।”

15. माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुनील कुमार कुशवाहा विरुद्ध कटरागड्डा सत्यनारायण व एक अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 1038 में प्रकाशित अपने निर्णय के कण्डिका-5 में व्यक्त किया है कि- “हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि 100% कार्यात्मक अक्षमता का आकलन केवल इसलिए किया जा सकता है क्योंकि वह उस व्यवसाय को जारी नहीं रख सकता जो वह पहले कर रहा था” और अधिकरण के 100% आकलन को घटाकर 60% कर दिया, यह अभिनिर्धारित करते हुए कि यद्यपि आहत व्यक्ति अपना पूर्व शारीरिक कार्य जारी नहीं रख सकता था, परंतु उसके पास शेष कमाई की क्षमता मौजूद थी।

16. इस प्रकरण में, प्रत्यर्थी क्रमांक 1/ आवेदक एक राजमिस्त्री के रूप में कार्यरत था, अर्थात्, एक ऐसा कार्य जिसमें निस्संदेह गतिशीलता और शारीरिक प्रयास की आवश्यकता होती है। हालाँकि, राजमिस्त्री के कार्य में कई तरह की गतिविधियाँ शामिल होती हैं—योजना, मापन, पर्यवेक्षण, और हल्के कार्य—जो अभी भी किए जा सकते हैं। विच्छेदन घुटने के नीचे है; कृत्रिम सहारे के साथ, आंशिक गतिशीलता और कुछ कार्य करने की क्षमता बनी रहती है। यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि दावाकर्ता पूरी तरह से बेरोजगार हो गया है या कोई आय-उत्पादक गतिविधि करने में असमर्थ है।

17. प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों और माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय और साक्ष्यों पर विचार करने के उपरांत, इस न्यायालय की राय में, अधिकरण ने दावाकर्ता की राजमिस्त्री के रूप में कार्य जारी रखने में असमर्थता के बराबर मानकर 100% कार्यात्मक अक्षमता/ अर्जन क्षमता की हानि का आदेश देने में त्रुटि की है। उसे मजदूर मानते हुए, उसकी आजीविका कमाने के प्रयोजन से अर्जन क्षमता की हानि का उचित आकलन 80% होगा। तदनुसार आदेशित किया जाता है।

18. चूँकि इस न्यायालय ने पाया है कि अधिकरण द्वारा 100% आय की हानि का आकलन त्रुटिपूर्ण है और इसे 80% आंका गया है, इसलिए मैं यह उचित समझता हूँ कि क्षतिपूर्ति की पुनर्गणना की जाए ताकि



यह देखा जा सके कि प्रकरण के तथ्यों के आधार पर दावाकर्ता को अधिनिर्णीत कुल क्षतिपूर्ति उचित और न्यायसंगत है या अत्यधिक।

19. दावा अधिकरण ने दावाकर्ता का व्यवसाय राजमिस्त्री (कुशल श्रमिक) माना था। दुर्घटना का दिनांक 31.05.2023 है, आय ₹500 प्रतिदिन और ₹15,000 प्रति माह निर्धारित की गई है। स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत करके आय साबित नहीं की जा सकी, इसलिए, क्षतिपूर्ति की गणना हेतु, उसकी आय का आकलन कुशल श्रमिक के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की सहायता से किया जाना है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 की अवधि हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी ₹11,390 प्रति माह है। अतः, दावाकर्ता की आय ₹11,390 प्रति माह और ₹1,36,680 प्रति वर्ष निर्धारित की जा सकती है। 13 का गुणक लागू करने पर कुल आय ₹ 17,76,840 होगी, जिसका 80% ₹ 14,21,472 होगा।

20. आय की हानि के लिए ₹14,21,472 के अतिरिक्त, दावाकर्ता को चिकित्सा व्यय के रूप में ₹3,50,874, उपचार अवधि के दौरान आय की हानि के लिए ₹68,340 (₹11390X6), परिचारक के लिए ₹26,500 (जैसा कि निर्धारित है), विशेष आहार के लिए ₹15,000, कष्ट और पीड़ा के लिए ₹1,00,000, और परिवहन व्यय के लिए ₹10,000 का संदाय किया जाएगा। दावाकर्ता 70% स्थायी विकलांगता से पीड़ित है जिसके परिणामस्वरूप उसकी 80% आय का हानि हुआ है, दावाकर्ता की आयु 46 वर्ष है, उसे अपना पूरा जीवन उक्त विकलांगता के साथ जीना होगा, हो सकता है कि वह जीवन का आनंद न ले पाए और एक सामान्य व्यक्ति की तरह सामाजिक क्रियाकलापों में भाग न ले पाए, हालाँकि, जीवन में सुख-सुविधाओं के हानि के लिए क्षतिपूर्ति नहीं दिया गया है, जो मुझे ₹1,00,000 होना उचित लगता है।

मद	क्षतिपूर्ति
कमाई की क्षमता की हानि, इसे 80% तक विभाजित	₹ 14,21,472/-
चिकित्सा व्यय	₹ 3,50,874/-
उपचार अवधि के दौरान आय की हानि	₹ 68,340/-
परिचारक	₹ 26,500/-
विशेष आहार	₹ 15,000/-
मानसिक पीड़ा और कष्ट	₹ 1,00,000/-
परिवहन व्यय	₹ 10,000/-



जीवन में सुख-सुविधाओं की हानि	₹ 1,00,000/-
कुल	₹ 20,92,186/-

21. अब दावाकर्ता विद्वान दावा अधिकरण द्वारा निर्धारित ₹21,15,894/- के स्थान पर ₹20,92,186/- की कुल क्षतिपूर्ति राशि का हकदार होगा। तदनुसार आदेशित किया जाता है। क्षतिपूर्ति राशि पर दावा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से उसकी वसूली तक 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा।

- आक्षेपित अधिनिर्णय के अनुसार प्रत्यर्थी क्रमांक 1/दावाकर्ता को संदाय की गई कोई भी राशि ऊपरोक्त की गई गणना, क्षतिपूर्ति राशि से समायोजित की जाएगी।
- आक्षेपित अधिनिर्णय में दावा अधिकरण द्वारा अधिरोपित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

22. फलस्वरूप, बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और आक्षेपित अधिनिर्णय को उपरोक्त दर्शित सीमा तक संशोधित किया जाता है।



सही/-
(पार्थ प्रतीम साहू)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।